

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, जून 21, 2021

सन्दर्भ : HQPUB015/1/2020-PUB-BIS (187).—भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा भारत के राजपत्र में नीचे दिए गए सन्दर्भ में भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारत के राजपत्र भाग III, खंड 4 में दिनांक 25 सितम्बर 2020 को प्रकाशित भारतीय मानक ब्यूरो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत भारत सरकार की अधिसूचनाओं में निम्नलिखित संशोधनकर्ता है:

1. संदर्भ Pub 3/5/2020-21 (69) दिनांक 19 अगस्त 2020:

अनुसूची के क्रम संख्या (3), कालम (5) में – '16 सितम्बर 2020' को '10 सितम्बर 2021' से प्रतिस्थापित करें।

जे. राय चौधरी, वैज्ञानिक जी एवं उपमहानिदेशक (मानकीकरण – पी एवं एम)

[विज्ञापन-III/4/असा./122/2021-22]

CORRIGENDUM

New Delhi, the 21st June, 2021

Ref: HQ-PUB015/1/2020-PUB-BIS (187).—Bureau of Indian Standards hereby makes the following AMENDMENT to the specified NOTIFICATION of Government of India under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs) published on 25 September 2020 in Part III, Section 4 of the Gazette of Indian pursuance of Sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018:

- (1) Extraordinary vide Ref: Pub 3/5/2020-21 (69) dated 19 August 2020:

Sl. No. 3, column (5) of the schedule — Substitute '10 September 2021' for '16 Sep 2020'.

J. ROY CHOWDHURY, Scientist G & DDG (Standardization – P & M)

[ADVT.-III/4/Exy./122/2021-22]